भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.499

जिसका उत्तर 22.07.2021 को दिया जाना है

सुरक्षित सड़कों के संबंध में संगोष्ठी

499. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में "सुरक्षित सड़कों/ब्लैक स्पॉट्स पर और अगले एक वर्ष के दौरान ब्लैक स्पॉट्स के सुधार की योजना पर चर्चा" के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ख) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एन.एच.) के दोषपूर्ण डिजाइन और निर्माण के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं के प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या ऐसे दोषपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के प्लानर, डिजाइनर और निर्माता पर कार्रवाई करने के लिए कानून में कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून में ऐसे प्रावधान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 3 फरवरी और 4 फरवरी 2021 को परिवहन भवन, नई दिल्ली के मीडिया केन्द्र में दो सत्रों में "सुरक्षित सड़कों/ब्लैक स्पॉट्स पर और अगले एक वर्ष के दौरान ब्लैक स्पॉट्स के सुधार की योजना पर चर्चा" के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और सलाहकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ विशिष्ट पैनलिस्ट सहित लगभग नौ सौ प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

संगोष्ठी ने उचित सड़क चिह्नांकन, सड़क सुरक्षा ऑडिट, सड़कों की सुरक्षा रैंकिंग और जंक्शनों / एक्सप्रेसवे / पहाड़ी सड़कों आदि के डिजाइन पहलू पर प्रतिभागियों की जागरूकता को बढ़ाया। प्रतिभागियों को सड़कों के डिजाइन के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया कि इस तरह की अग्र-सक्रीय कार्रवाई से सड़क इंजीनियरिंग सुविधाओं और समय पर उपचारात्मक कार्रवाई के कारण दुर्घटनाएं नहीं होती हैं।

तदनुसार, चिन्हित किए गए 5803 ब्लैक स्पॉट पर उपचारात्मक उपायों में भी तेजी लाई गई। अब तक, इनमें से लगभग 90% ब्लैक स्पॉट को ठीक किया गया है, 2923 स्थायी उपायों के साथ और 2244 अस्थायी उपायों के साथ।

(ख) और (ग) जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) का परिवहन अनुसंधान विंग (टीआरडब्ल्यू) सड़क दुर्घटनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट और विश्लेषण प्रकाशित करता है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के उन स्थानों की पहचान करने का निर्णय लिया है, जिनपर लगातार दुर्घटनाएं/मानव जीवन की क्षति होती है और इन स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में परिभाषित किया है। एमओआरटीएच का ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग (टीआरडब्ल्यू), विभिन्न राज्यों से दुर्घटनाओं के डेटा प्राप्त करता है / एकत्र करता है, इसे फ़िल्टर करता है और दुर्घटना के कारणों के अध्ययन के आगे की कार्रवाई और सुधार के लिए एनएचएआई/पीडब्ल्यूडी-एनएच विंग/एनएचआईडीसीएल जैसी विभिन्न निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से उपयुक्त इंजीनियरिंग उपाय करने के लिए इस डाटा को एमओआरटीएच को सौंपता है ।

वर्ष 2018 के आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्लैक स्पॉट स्थानों पर एक वर्ष में लगभग 24940 दुर्घटनाएं हुईं जो कि 2018 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई कुल दुर्घटनाओं (140843) का लगभग 18% है। टीआरडब्ल्यू द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, 5803 चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर कार्रवाई शुरू हुई है। अब तक इनमें से लगभग 90% ब्लैक स्पॉट को ठीक किया गया है, 2923 स्थायी उपायों के साथ और 2244 अस्थायी उपायों के साथ।

(घ) और (ड.) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों /भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) विनिर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यों को निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुसार निष्पादित किया जाए, स्थल पर कार्यों के दैनिक पर्यवेक्षण के लिए मंत्रालय और इसकी एजेंसियों द्वारा परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी यादृच्छिक आधार पर निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता की जांच करते हैं और यदि जांच/निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है तो उसे सुधारात्मक उपाय हेतु रियायतग्राही/ठेकेदार के संज्ञान में लाया जाता है। सड़क सुरक्षा और इसके निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की लेखा परीक्षा और गुणवत्ता जांच के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों सहित प्राधिकरण अभियंता/स्वतंत्र अभियंता भी नियोजित किए गए हैं। किसी प्रकार की चूक होने पर, समझौते के प्रावधानों के अनुसार दोषी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

हालांकि, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में, बिंदु संख्या 84, नियम संख्या 198क में, भविष्य में किसी भी दोषपूर्ण एनएच या किसी भी दुर्घटना को रोकने/दूर करने के लिए निम्नलिखित कानून का उल्लेख किया गया है:

"198क. (1) सड़क के डिजाइन या संनिर्माण या रखरखाव के सुरक्षा मानकों के लिए उत्तरदाई कोई अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के ऐसे मानकों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएं।

(2)जहां उपधारा (1) के अधीन उत्तरदाई किसी अभिहित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शी या ग्राही द्वारा सड़क डिजाइन, संनिर्माण और रखरखाव के मानकों का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या नि:शक्तता होती है वहां ऐसे प्राधिकारी या संविदाकार या ग्राही ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा और उसका संदाय धारा 164ख के अधीन गठित निधि में किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए न्यायालय विशिष्ट रूप से निम्नलिखित विषयों को ध्यान में रखेगा, अर्थात:-

(क) सड़क की विशेषताएं और ऐसे यातायात की प्रकृति और किस्म जिसके द्वारा उसे युक्तियुक्त रूप से सड़क के डिजाइन के अनुसार उपयोग किया जाना संभावी है;

(ख) उस विशेषता की सड़क और ऐसे यातायात द्वारा उपयोग के लिए लागू रख-रखाव संनियमों का मानक;

(ग) मरम्मत की वह स्थिति जिसमें सड़क को उपयोग करने वाले उस सड़क को पाए जाने की प्रत्याशा करते हैं;

(घ) क्या सड़क के रख-रखाव के लिए उत्तरदाई अभिहित प्राधिकारी यह जानता था या उससे यह जानने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती थी कि सड़क के उस भाग की, जिससे कार्रवाई संबंधित है, स्थिति के कारण सड़क का उपयोग करने वालों के खतरे में पड़ने की संभावना थी;

(ड.) क्या सड़क के रख-रखाव के लिए उत्तरदाई अभिहित प्राधिकारी से युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशित था कि वह हेतुक उद्भूत होने से पूर्व सड़क के उस भाग की मरम्मत करता;

(च) क्या सड़क चिन्हों के माध्यम से सड़क की स्थिति के संबंध में पर्याप्त चेतावनी सूचनाएं प्रदर्शित की गई थीं; और

(छ) ऐसे अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।"

*****